आयकर विवरणी का हिन्दी में प्रपत्र

*543. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर निर्धारण संबंधी विवरणी के प्रपत्र का इस्तेमाल राजभाषा नियमों में विनिर्दिष्ट ''क'' और ''ख'' क्षेत्रों में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रपत्रों को हिन्दी में छपाया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। इन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं सहित द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Printed forms of Income Tax Return in Hindi

†*543. SHRI BALKAVI BAIRAGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether printed forms of Returns for Income Tax Assessment are used in the "A" and "B" Areas specified in Official Language Rules;

(b) if so, whether such forms are printed in Hindi; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir. These are printed in bilingual form having both Hindi and English versions.

(c) Does not arise.

श्री बालकवि बैरागी: यही आप हिन्दी में बोल देते।

श्री यशवंत सिन्हा: आपने अंग्रेजी में पूछा इसलिए उत्तर अंग्रेजी में दिया।

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्री बालकवि बैरागी: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप स्वयं "क" क्षेत्र, बिहार से आते हैं। मैं भी स्वयं "क" क्षेत्र मध्य प्रदेश से आता हूं और आप यहां जो बैठकर वित्त मंत्रालय चला रहे हैं यह भी "क" क्षेत्र में आता है। सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर आपने दिया है कि हम इनको हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापते हैं यह तथ्यों से परे है। मैं संसदीय राजभाषा समिति का सदस्य पहले भी था, जब मैं लोकसभा में था और इस सदन में भी हूं और इस सदन के महत्वपूर्ण सदस्य जो राजभाषा समिति के सदस्य हैं, यहां बैठे हुए हैं। हम जब भी "क" क्षेत्र में गए हैं, दिल्ली में जब भी गए हैं तो हमने पाया है कि आपके यहां सारे फार्म द्विभाषिक नहीं छपते हैं। स्वयं मैं जब अपनी इन्कम टैक्स विवरणी, अपनी आयकर विवरणी पर दस्तखत करने के लिए फार्म मांगता हूं तो मेरा सलाहकार अंग्रेजी फार्म मेरे सामने रख देता है। इसके बाद भी आप सदन में यह कहते हैं कि हम द्विभाषी छाप रहे हैं। हमें इस पर गंभीर आपत्ति है और आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं आपको अपने अनुभव से एक बात बताना चाहता हूं कि यदि केवल वित्त मंत्रालय ही ईमानदारी के साथ राजभाषा नियम का पालन करे तो इस देश में हिन्दी का काम 70 फीसदी पूरा हो सकता है, 70 फीसदी काम निपट सकता है। महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो 6 प्रतिवेदन संसदीय राजभाषा के राष्ट्रपति महोदय को सीधे प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें पांच पर हम लोगों के भी दस्तखत हैं और उन्होंने यथाप्रस्ताव इसको स्वीकृत किया है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा इन नियमों का उल्लंघन वित्त मंत्रालय में होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे प्रपत्र हिन्दी में छपाए जाते हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपके यहां हिन्दी-अंग्रेजी में नहीं छपते हैं तो क्या आप इसकी नए सिरे से पड़ताल करायेंगे? मेरा पहला प्रश्न है कि क्या नये सिरे से आप इसकी पड़ताल करायेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, राजभाषा के बारे में जो नियम, कानून और कायदे हैं, हमारा मंत्रालय यह प्रयास करता है कि हम उनके अनुसार अपने कार्य को करें। हमारे मंत्रालय से संबंधित जो राजभाषा समिति है, उसकी मैं समय समय पर बैठक बुलाता रहता हूं, उनसे विचार-विमर्श करता रहता हूं और उनके जो सुझाव आते हैं उनको कार्यान्वित करने का मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं। अभी जो नियम है, उनके अनुसार जितने हमारे फार्म हैं उन सब को हमें दोनों भाषाओं में प्रिंट कराना होता है और मैंने इसके बारे में स्वयं जांच की है। कुछ फार्म जो आयकर से संबंधित हैं, मैं उनका नमूना भी लाया हूं यह देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कि यह द्विभाषी हैं या नहीं हैं। जितने फार्म मैंने देखे, वह सारे द्विभाषी हैं लेकिन जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि हो

क्या रहा है। यह सारे फार्म इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं। जो इनके आयकर परामर्शी होंगे उनके पास कभी कभी ऐसा होता है कि 'क' क्षेत्र में हो या 'ख' क्षेत्र में भी अगर आपने अपने आयकर परामर्शी से आयकर रिटर्न फार्म मांगा कि मुझे आयकर रिटर्न फार्म दो तो सरकारी रिटर्न फार्म देने के बजाय इंटरनेट से डाऊनलोड करके उसने सिर्फ अंग्रेजी का पोर्शन दे दिया हो और इससे आपके मन में यह धारणा पैदा हुई कि हम फार्म द्विभाषी नहीं छाप रहे हैं। इसलिए मैं बल दे कर के इस बात को दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारे यहां वित्त मंत्रालय से जो फार्म छापे जाते हैं, वह द्विभाषी छपते हैं। यदि आप कोई इस प्रकार का उदाहरण मेरे सामने प्रस्तुत करें कि वित्त मंत्रालय में छपा हुआ प्रपत्र द्विभाषी नहीं है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा। लेकिन अभी तक जितनी जांच मैंने की क्योंकि बालकवि बैरागी जी का प्रश्न था इसलिए मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया और स्वयं को संतुष्ट कर के ही मैं आज सदन में आया हूं।

श्री बालकवि बैरागी: सभापति महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है, आपका आशीर्वाद चाहिये। ...(व्यवधान)... नहीं, मैं बैरागी हूं लेकिन मैं भारतीय भाषाओं का बैरागी हूं, उसमें हिन्दी भी शामिल है। मैं आपसे दूसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं। हिन्दी में काम करने के लिए आपके मंत्रालय से आपत्ति बार बार उठती है जब दूसरे मंत्रालयों के हमारे अधिकारी या दूसरे मंत्रिगण या दूसरे मंत्रालय आपसे वहां रिक्त पदों की पूर्ति के बारे में पूछताछ करते हैं तो आपके यहां से बाधाएं पैदा की जाती हैं और कह दिया जाता है कि नहीं होता है जबकि महामहिम राष्ट्रपति महोदय का स्पष्ट निर्देश और आदेश भी है कि हिन्दी के पदों में नियुक्तियां करने में, रिक्तियों को भरने में कोई कहीं पर प्रतिबंध नहीं है। क्या आप मंत्रालय में इस स्थिति की समीक्षा करवा कर भ्रम को पूरे देश में दूर करवाने की कृपा करेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, यह काम हम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने माननीय सदस्य को बताया कि अभी हाल ही में हफ्ता दस दिन पहले मैंने जो हमारे यहां राजभाषा सलाहकार समिति की बैठक बुलाई थी, मैंने सारी बातों की समीक्षा की है और मूल प्रश्न जो माननीय सदस्य का है वह सिर्फ आयकर प्रपत्र के बारे में था, यदि उन्होंने स्पेसेफिक सूचना इस प्रश्न में पूछी होती तो मैं उसकी तैयारी कर के आता कि मैंने क्या क्या काम किये हैं, कौन कौन सी पहल की हैं, हमारे मंत्रालय में जो राजभाषा का कानून है, उसके अन्तर्गत जो नियम बनाए हैं, न केवल उनके अनुसार सारे काम हों बल्कि उससे हम दो कदम आगे बढ़ कर और लोगों को प्रोत्साहित करें कि वह राजभाषा में अपने काम को करें। यह निरंतर एक प्रयास है और मैं कुछ विश्वास के साथ इस बात को कहना चाहता हूं जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि मैं 'क' क्षेत्र से आता हूं हालांकि सुधार की बात यह है कि मैं बिहार का नहीं रहा अब झारखंड का हो गया और वह भी 'क' क्षेत्र में है। इसलिए स्वयं 'क' क्षेत्र का होते हुए मैं इस बात में रुचि लेता हूं

कि राजभाषा में काम काज में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए और पूरी निष्ठा के साथ इस काम को मंत्रालय में किया जाए।

प्रो॰ रामदेव भंडारी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जो फार्म छापे जाते हैं, वह दोनों भाषाओं में छापे जाते हैं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) बिलकुल स्पष्ट है कि जो भी फार्म छापे वह दोनों भाषाओं में छापें। मंत्री जी के पास यदि आंकड़े हों तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने फार्म अंरेजी में छापे गये और कितने हिन्दी में छापे गये? अगर वह यह कह देंगे कि जितने अंग्रेजी में छापे गये उतने ही हिन्दी में छापे गये, वह जवाब मैं नहीं चाहता हूं। कितने फार्म अंग्रेजी में छपे और कितने हिन्दी में छपे, मैं यह जानना चाहता हूं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी में फार्म छपते हैं और हिन्दी में फार्म छपते हैं। मगर हमारा अनुभव है कि फार्म अंग्रेजी में भरे जाते हैं। जो सलाहकार होते हैं, वकील होते हैं वे अंग्रेजी में फार्म भरते हैं, हिंन्दी में नहीं भरते हैं। क्या वित्त मंत्रालय की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हिन्दी में ही वकील फार्म भरें? व्यवस्था की बात मैं यह कहना चाहता हूं कोई ऐसा इंसेंटिव, कोई ऐसी छूट वकीलों के लिए हो जो हिन्दी में फार्म भरे, जिससे कि उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके कि अंग्रेजी में फार्म न भरकर हिंदी में भरा जाए। धन्यवाद।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, इसी प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा, जैसा मैंने कहा कि उन फार्मों को देखा, उन प्रपत्रों को देखा। अब जैसे एक प्रपत्र इसमें है, इसका एक पेज अंग्रेजी में छपा है, उसके पीछे का फार्म हिंदी में छपा है। फिर एक पेज अंग्रेजी में छपा है और एक पूरा का पूरा पेज हिंदी में छपा है। अनेक प्रपत्र जो मैंने देखे वे इसी प्रकार से छपे हैं। अब जिस नियम का आपने यहां पर जिक्र किया उस नियम के तहत यह प्रपत्र द्विभाषीय होने हैं। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा है क्योंकि इस प्रकार के भी हमने उदाहरण देखे हैं कि एक लाइन राजभाषा में, उसके नीचे फिर अंग्रेजी में या कहीं ऐसा माडल है कि एक पेज जैसे मैं बता रहा हूं अंग्रेजी में उसका दूसरा पेज हिन्दी में हो। इसलिए जब बालकवि बैरागी जी ने प्रश्न पूछा तो मैंने यह कहा कि अगर कोई इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है तो वह अंग्रेजी का डाउनलोड करके उसको दे देगा। उससे यह भ्रम की स्थिति पैदा होगी। लेकिन जितने फार्म्स हैं वे नियम के अनुसार द्विभाषीय हैं। जहां तक भरने का सवाल है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा जो प्रोत्साहन है वह यह है कि जो हिंदी राजभाषा में अपने फार्म को भरना चाहते हैं वह उपलब्ध है और वे अपने परामर्शी को, वकील को यह आदेश दे सकते हैं कि मेरे फार्म को अंग्रेजी नहीं राजभाषा में या हिन्दी में भरो। वह फार्म स्वीकार किया जाएगा। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है मेरे सामने कि किसी भी क्षेत्र में चाहे वह "क", "ग" या "ख" हो जिसमें कि हम लोगों ने राजभाषा में जो प्रपत्र या फार्म दाखिल किया गया है उसे अस्वीकार कर दिया हो।

इसलिए यह जो एक प्रश्न उसमें प्रोत्साहन का उठा तो प्रोत्साहन हम काम करने वालों को देते हैं। हमारे पास राजभाषा विभाग की तरफ से बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के प्रोत्साहन की योजनाएं हैं जिससे सरकार में कामकाज करने वाले लोगों को राजभाषा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मैं मानता हूं कि अगर हम सब इसके बारे में जागरूक रहे—हम सब—और किसी एक व्यक्ति या विभाग के ऊपर, या मंत्रालय के ऊपर अकेले दायित्व न सौंपे तो निश्चित रूप से इसमें प्रगति होगी।

श्री संघ प्रिय गौतम: भंडारी जी का आशय था कि हिन्दी में भरने वालों को इन्कम टैक्स में छूट दे दें।

श्री सतीश प्रधान: सभापति-जी, आयकर विभाग ने बहुत बड़ा एक जो काम किया और अच्छा काम किया वह यह कि मुम्बई में पान वालों को भी इस दायरे में ला दिया। समाज के बहुत छोटे से छोटे घटक को भी इसमें दाखिल करवा दिया। अच्छा काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को भी यदि इन्कम टैक्स का, आयकर का फार्म भरना है और यह वे अपनी भाषा में समझें, इस ढंग का हो तो वे फार्म को भर सकेंगे। आप सिर्फ अंग्रेजी और हिन्दी का जिक्र कर रहे हैं। भारत सरकार ने बहुत पुराने समय से त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया है। इसलिए यदि उनको रीजनल लैंग्वेज में भी फार्म उपलब्ध हो तो उसमें उनको फार्म भरने में मुश्किल नहीं होगी। आसानी से भर सकेंगे। उसको समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। नहीं तो वकील के पास जाते हैं। वकील फार्म भरकर दे देता है। उसमें क्या होता है कि जो कुछ वकील ने लिख दिया उनको सिर्फ ठप्पा लगाना होता है। इस तरह का व्यापार होने की बजाए यदि उनको भी समझ में आए इस ढंग का यदि कोई सुधार कर सकते हैं तो वह अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। क्या मंत्री जी इस विषय पर विचार करेंगे? दूसरा, आपके हर आफिस में संबंधित फार्म्स और जो रिसीट्स वगैरह सब देनी हैं वे सब किताबें पूरी मात्रा में रहनी चाहिएं। अनुभव ऐसा है कि ये सब कार्यालयों में पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। और कई बार ऐसे बताया जाता है कि वह रसीद बुक ऊपर से आनी है। अभी वह दिल्ली से नहीं आई है। जब आएगी उसके बाद आपको दी जाएगी। ऐसा बहुत बार होता है। इसलिए इस विषय में भी आप ख्याल रखें।

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, राजभाषा अधिनियम, 1963 का अभी भंडारी जी ने जिक्र किया था। इसके नियम 3 के अनुसार अभी जो प्रावधान है उसके अंतर्गत हमें द्विभाषी प्रपत्र या जो भी सरकारी कागज हैं, उनको जारी करना है। इसके अनुसार त्रिभाषी नहीं करना है। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। उसका दूसरा जो अंश है वह यह है कि फॉर्म कैसे भरें। सभापति महोदय, सदन को याद होगा कि जब मैंने 1998 का बजट पेश किया था तो उस समय

आय कर रिटर्न के लिए एक नया फॉर्म बना कर मैंने कहा कि इसे हम देश के आयकरदाताओं के सामने रखेंगे। उसका नाम भी सरल था। सरल फॉर्म सचमुच में इतना सरल है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आमदनी बहुत स्रोतों से जटिल नहीं है, सिर्फ एक या दो स्रोत से ही उसकी आमदनी है तो वह उस सरल फॉर्म को आसानी के साथ भर सकता है। इसलिए करदाताओं के ऊपर कोई विषेय बोझ इसका नहीं पड़े और भागकर उसे किसी परामर्शी के पास नहीं जाना पड़े इसकी व्यवस्था अलग से की गई है। यह एक निरन्तर प्रयास है और इस सरलीकरण के प्रयास की तरफ हम बढ़ते जायेंगे।

डॉ० वाई० लक्ष्मी प्रसाद: सभापति महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि इस सत्र में राजभाषा हिन्दी का भाग्य खुला है। कल भी एक तारांकित प्रश्न आया और आज भी यह प्रश्न आया है। राजभाषा के विषय में सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के आश्वासन बहुत मीठे-मीठे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जो व्यवहार होता है वह बहुत खट्टा होता है। सभापति महोदय, राजभाषा हिन्दी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक जो कि राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) से है, उसके पृष्ठ संख्या 10 और मद संख्या 2 में स्पष्ट लिखा गया है कि लंबे फॉर्म, जैसे आय कर और सीमा शुल्क के फॉर्म हिन्दी, अंग्रेज़ी और प्रादेशिक भाषाओं में अलग-अलग रूप में छापे जाने चाहिएं। यह "ख" क्षेत्र का मामला है और इसमें पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं तथा इनकी प्रादेशिक भाषाएं पंजाबी, गुजराती और मराठी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि "ख" क्षेत्र में स्थित राज्यों के लिए वहां की प्रादेशिक भाषाओं में भी फॉर्म छापे जाते हैं या नहीं?

श्री यशवंत सिन्हा: सभापति महोदय, मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार राजभाषा अधिनियम का मैंने उल्लेख किया है। मेरे पास एक और सूचना भी है जो कि डिटेल्ज़ चैक अप ऑफ् प्वायंट्स फॉर रिजंस ए, बी एंड सी है। उसके अनुसार भी जो फॉर्म्ज़ हैं, कोड्ज़ हैं, मैनुअल्ज़ हैं, गजट नोटीफिक्केशंस हैं, जनरल, ऑर्डर्ज़ हैं, डॉकूमेंट्स हैं, उन्हें भी हिन्दी और अंग्रेज़ी, दो भाषाओं में छापे जाने का प्रावधान है। फिर भी माननीय सदस्य के पास कोई और सूचना है तो मैं उसको ग्रहण करने को तैयार हूं और उसे देख लूंगा।

श्री सतीश प्रधान: सभापति महोदय, बात ऐसी है कि आयकर रिटर्न बड़ी मात्रा में हिन्दी और अंग्रेजी नहीं समझने वाले लोग ही भरते हैं, इसलिए उनको उनकी लैंग्वेज़ में ही फॉर्म देने में इनको क्या आपत्ति है? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ रूल्ज़ बताने की कोशिश मंत्री जी कर रहे हैं। मैं आदरपूर्वक यह बताना चाहता हूं कि यदि इसके लिए किसी रूल को अमेंड करने की आवश्यकता है तो उसे अमेंड किया जाए। जब लोगों को जरुरत है, लोगों की आवश्यकता है, तो उन्हें उनकी भाषा में फॉर्म उपलब्ध क्यों नहीं कराए जाते हैं? उन्हें आप ऐसी सर्विस क्यों नहीं

देते? लोग टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, यदि रूल है तो वह अमेंड हो सकता है। जब बाकी सब रूल्ज़ और कंस्टीट्यूशन तक भी आप अमेंड करते हैं, तो यह रूल क्यों नहीं अमेंड किया जाता है? सिर्फ हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा ही लोगों के ऊपर क्यों थोपने की कोशिश चल रही है? ...(व्यवधान)

डॉ० वाई० लक्ष्मी प्रसादः यह राष्ट्रपति के आदेश और अधिनियम हैं। ...(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागीः सर, रूल्ज अमेंड करने की आवश्यकता नहीं है, वह नियम तो है। मंत्री जी इस नियम को अगर देख लेंगे तो वह स्वयं ही इसका रास्ता निकाल लेंगे। नियम तो है।

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री यशवंत सिन्हाः मैं भी इसे देख लूंगा। सभापति महोदय, अगर कोई नियम इस परकार का है, वैसे मेरे संज्ञान में तो अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर है तो मैं अवश्य देख लूंगा और उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री सतीश प्रधानः यह आज की बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है कि सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के प्रयोग को स्वीकार किया है। यदि सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के प्रयोग को स्वीकार किया है, तो तीसरी भाषा, जो कि रिजनल लैंग्वेज़ है, उसमें भी फॉर्म उपलब्ध कराने की सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को वह जिम्मेदारी निभानी है।

SHRI KULDIP NAYYAR: Mr. Chairman, Sir, my experience is, I am only getting Hindi forms. I am not getting English forms at all. If these forms are bilingual, then English forms should also be available. It is being emphasised that Hindi forms should be there. There are people who are not familiar with Hindi. They should be given English forms. I think this over-emphasis will create the same kind of a problem which we had experienced in the past.

MR. CHAIRMAN: Question No. 544. (*Interruptions*).

श्री बालकवि बैरागीः सभापति जी, मैं आप का आभारी हूं। इस देश में दो दिन से यह समाचार जा रहा है कि यहां सदन में हम लोग हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V. P. DURAISAMY: Would the Minister assure the House that these forms will be printed in regional languages also? (*Interruptions*).

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, this document has been brought to my notice. I will certainly look into it and find out what I can do about it.

Raids at the residences and offices of Brokers of Bombay Stock Exchange

*544. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Central Board of Direct Taxes conducted raids on the residences and offices of prominent Brokers of Bombay Stock Exchange during March, 2001;

(b) if so, the details thereof including details of unaccounted money, gold, jewellery, etc. seized;

(c) whether as a result of their manipulative activities, a large number of small investors have suffered heavy losses and compelled some of them to commit suicide alongwith their family members;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the preventive steps taken/to be taken to streamline the working of Stock Exchanges and to save poor investors and economy of the country?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (e) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Search actions were conducted on 23.3.2001 at the business and residential premises of the following brokers:—

1. Ketan Parekh
2. Nirmal Bang
3. Anand Rathi
4. Rakesh Jhunjhunwala
5. Shanker Sharma
6. R.S.Damani